



प्रेस नोट जनपद बागपत


थाना खेकड़ा

दिनांक 27.10.24

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 367/24 धारा 304(2) बीएनएस में छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से छिनैती का एक मोबाइल व एक अन्य मोबाइल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.10.24 को थाना खेकड़ा पर वादी शनि पुत्र पिरु निवासी भरसी थाना कांधला जनपद शामली ने लिखित सूचना दी कि दिनांक 17.10.24 को 02 अज्ञात चोरों द्वारा उसका मोबाइल ONEPLUS NORD CE2 LITE को बडगाँव फाटक के पास झपट्टा मार कर छीन लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार



पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 367/24 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 367/24 धारा 304(2) बीएनएस में छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से छीना हुआ एक मोबाइल फोन व चोरी किया हुआ एक अन्य मोबाइल फोन बरामद हुआ हैं ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. तोहीद पुत्र निशार निवासी मौ० शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. आमिर पुत्र हाजी हसन निवासी मौ० शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त तोहीद का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 367/24 धारा 304(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2. मु०अ०सं० 426/2021 धारा 379/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाइल फोन Oneplus
- 01 मोबाइल फोन Infinix

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ०नि० श्री धर्मपाल शर्मा थाना खेकड़ा
2. का० 1075 मनीष कुमार थाना खेकड़ा
3. का० 1021 जितेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 27.10.24

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 364/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ लोहे का सरिया वजन करीब 08 किग्रा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.10.24 को थाना खेकड़ा पर वादी सौरभ गुप्ता निवासी रासना जनपद मेरठ ने लिखित सूचना दी कि जल निगम के कार्य हेतु रामलीला मैदान खेकड़ा में कार्य चल रहा है जिसमें से किसी अज्ञात चोर द्वारा सरिया, समरसेबिल, क्यूब एवं अन्य सामान चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 364/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 364/24 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लोहे का सरिया वजन करीब 08 किग्रा बरामद हुए हैं।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. गौरव पुत्र विनोद निवासी ईदगाह के पास पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. निक्की पुत्र बबलू निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त गौरव का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 55/20 धारा 392/411/506 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 364/2024 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त निक्की का आपराधिक इतिहास-


- 1-मु0अ0सं0 373/23 धारा 380/457/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 364/2024 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- लोहे के सरिया के टुकड़े वजन करीब 08 किग्रा0 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 यूटी सनुज कुमार थाना खेकड़ा
2. का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकड़ा
3. का0 1021 जितेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 27.10.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 24 पाउच अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 24 पाउच अवैध देशी शराब बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजीव पुत्र रणवीर निवासी ग्राम भगवानपुर नांगल थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 24 पाउच अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का0 1060 गौरव कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनाँक 27.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने शराब तस्क़र एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 30 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्क़र अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 30 पच्चे सुनामी अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 711/24 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोहित पुत्र शिवचरण निवासी खिरनी वाली गली नेहरू रोड कस्बा व थाना बडौत
जनपद बगपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 30 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- का0 493 विवेक सिरोही थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- का0 545 मनीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 27.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौहम्मद वाहिद पुत्र दिलशाद निवासी बडा जैन मंदिर पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत ।
2. का0 493 विवेक सिरौही थाना बडौत ।
3. का0 142 दीपक कुमार थाना बडौत ।
4. का0 545 मनीष कुमार थाना बडौत ।
5. का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत ।
6. का0 1058 शरद यादव थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक- 27.10.24

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 155/24 धारा 74/76/78/351(2)
BNS में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 155/24 धारा 74/76/78/351(2) BNS में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विनोद पुत्र महिपाल निवासी ग्राम आँगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त विनोद का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 116/21 धारा 304 भादवि थाना बालैनी जिला बागपत।

2.मु0अ0सं0 155/24 धारा 74/76/78/351(2) BNS थाना बालैनी जिला बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री नन्द किशोर राजपूत थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-का0 418 परमजीत सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3-का0 997 सोनू कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 27.10.24

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 45 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

किरनपाल उर्फ किरनू पुत्र दुर्गा जोगी निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त किरनपाल उर्फ किरनू का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 21/16 धारा 60 आब० अधि० थाना बालैनी , जनपद बागपत ।
2. मु०अ०सं० 154/16 धारा 60 आब० अधि० थाना बालैनी , जनपद बागपत ।
3. मु०अ०सं० 33/18 धारा 60 आब० अधि० थाना बालैनी , जनपद बागपत ।
4. मु०अ०सं० 104/18 धारा 60 आब० अधि० थाना बालैनी , जनपद बागपत ।
5. मु०अ०सं० 111/18 धारा 60 आब० अधि० थाना बालैनी , जनपद बागपत ।
6. मु०अ०सं० 40/19 धारा 63 आब० अधि० थाना बालैनी , जनपद बागपत ।
7. मु०अ०सं० 01/20 धारा 60 आब० अधि० थाना बालैनी , जनपद बागपत ।
8. मु०अ०सं० 75/21 धारा 60 आब० अधि० थाना बालैनी , जनपद बागपत ।
9. मु०अ०सं० 149/21 धारा 60 आब० अधि० थाना बालैनी , जनपद बागपत ।
10. मु०अ०सं० 157/24 धारा 60 आब० अधि० थाना बालैनी , जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री नन्द किशोर राजपूत थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2. है० का० 416 दीपक राणा बालैनी जनपद बागपत ।
3. का० 940 अभिषेक शेखावत थाना बालैनी जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 27.10.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

छोटू पुत्र अजमेरी निवासी ग्राम बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शत्रुघन सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-का0 966 नरेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 27.10.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सि0 अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अय्याज पुत्र शौकत निवासी बडी मस्जिद के पास बीच वाला मौहल्ला सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री सोनू कुमार थाना सि० अहीर जनपद बागपत ।
2. है०का० 266 नरेश कुमार थाना सि० अहीर जनपद बागपत
3. है०का० 613 नवीन कुमार थाना सि० अहीर जनपद बागपत

